न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2017 (राजसमन्द आर्डर)

नानालाल पिता हरचंद, जाति तेली, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती मोवनी देवी पत्नी बंशीलाल पालीवाल, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम-1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 10.10.2017 प्र॰ सं॰ 288/17

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

---::---

निर्णय **दिनांक 23-08-2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी मौके पर आराजी नंबर 1954 की भूमि पर रास्ता बन्द करने हेतु आमादा हो रहा है। प्रार्थी के उक्त आराजी में तथा इससे सटी हुई आराजी में प्रार्थी के नाम एक खनन पट्टा भी स्वीकृत है, जिस पर आने जाने के लिए प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता है तथा अपने हल, बैल, टैक्टर आदि ले जाता है, जिसे 35 वर्ष से अधिक समय हो गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतएवं विपक्षी को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि

में आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध नहीं करें, मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि दौराने सुनवाई विपक्षी द्वारा कोई कृत्य किया जाता है तो पुनः विपक्षी के खर्चे से पूर्ववतः स्थिति कायम की जावे।

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन दिनांक 18–09–2017 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22–09–2017 को प्रार्थी को एकतरफा सुनने के बाद प्रकरण में अंतरित निषेधाज्ञा बाबत् विवेचन करते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी आराजी संख्या 1955 का खातेदार काश्तकार होकर अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु आराजी नंबर 1954 का उपयोग–उपभोग कर रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 1954 में किसी प्रकार का कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत नियमानुसार विपक्षी खातेदारी को भूमि का मुआवजा राशि अदा करने के लिए भी सहमत है। विपक्षी द्वारा जबरन रास्ता बन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित होने से गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना विपक्षी के विरूद्ध आगामी पेशी तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम केलवा के आराजी नंबर 1955 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आने–जाने हेतु विपक्षी की आराजी नंबर 1954 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि में स्थिति वर्तमान में चालू रास्ते को बंद नहीं करे व रास्ते से हल बैल टैक्टर आदि निकालने में बाधा रूकावट नहीं करे। प्रार्थी पक्ष आदेश 39 नियम 3 परन्तुक (ख) के तहत शपथ पत्र पेश करे। शपथ पत्र पेश नहीं होने की स्थिति में उक्त एकतरफा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा हुक्म ईम्तनाई पेश करने पर मय नकल से विपक्षीगण की तलबी हो पत्रावली देखने तामील व विपक्षीगण के जवाब दिनांक 09–10–2017 को पेश होवें।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उक्त एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के बाद प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–10–2017 नियत की गयी। प्रकरण में दिनांक 27–09–2017 को अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर नियत दिनांक से गिरकर आज

पत्रावली पेश हुई का अंकन करते हुए वकील विपक्षी का जवाब पेश किया जाना अंकित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 27–09–2017 को मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने तथा कमिश्नर रिपोर्ट आने तक उभयपक्षों को पाबन्द किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में आवागमन के अतिरिक्त कोई भी पक्षकार जे.सी.बी. ट्रैक्टर से रास्ते को किसी प्रकार से क्षति कारित नहीं करे, दीवार आदि निर्मित कर अवरोध नहीं करे।

प्रकरण में दिनांक 10–10–2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किया गया कि मौके रिपोर्ट प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली संख्या 287/2017 में शामिल फाईल की गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी नंबर 1955 जो ग्राम केलवा में स्थिति है, में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नंबर 1936 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में से रास्ता दर्ज रेकार्ड है। उक्त रास्ता मौके पर खुला हुआ है, आवागमन के उपयोग में आ रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थी स्वयं के द्वारा मार्बल वेस्टेज डालकर अवरूद्ध किया हुआ है। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्य के आधार पर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया जाना साबित है। आदेश 39 नियम 4 के आधार पर दिनांक 22–09–2017 को विपक्षी के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10–10–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–10–2017 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 एस0 पालीवाल ने अपनी उपस्थिति दी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा उनके विविध प्रकरा संख्या 33/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29–01–2018 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकरण से संबंधित विवादित रास्ते बाबत् दावे के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निर्णय पारित किया है।

→ प्रकरण में उक्त दस्तावेज सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से सुसंगत होकर रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया गया है तथा जिस कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है उसी कमिश्नर रिपोर्ट को नहीं मानते हुए प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थी एवं विपक्षी की उपस्थिति में पुनः स्थल निरीक्षण करने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट को आवेदन खारिज करने का आधार बनाया गया है, जो विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 03–10–2017 को आधार मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया है वहीं दूसरी ओर उसी कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिनांक 10–10–2017 के तहत यह माना कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार नहीं करना जाहिर आया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट प्रार्थी व विपक्षी की उपस्थिति में दिनांक 12–10–2017 को तैयार करने हेतु आर.आई. व पटवारी हल्का के नाम पुनः तहरीर जारी की जावे। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के जरिये अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03–10–2017 को की गयी मौका रिपोर्ट को नहीं मानते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विरोधाभाषी है। यहां यह भी

उल्लेखनीय है कि कमिश्नर रिपोर्ट में रास्ता मौके पर खुला होना किसी प्रकार का अवरोध नहीं है और आवागमन के उपयोग में आ रहा है, की रिपोर्ट की है तथा यह भी रिपोर्ट की कि मौके पर वर्तमान में आने जाने हेतु 1954 व 1955 आराजी में कच्चा रास्ता स्थापित है। रास्ते को स्वयं प्रार्थी द्वारा अवरूद्ध किया जाना अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त विरोधाभाषी रिपोर्ट के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया तो पाया कि वस्तुतः यह मूल प्रकरण 287/2017 जो कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा रास्ता कायम किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त प्रकरण के लम्बित रहते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अपीलाधीन प्रकरण संख्या 288/2017 भी प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण दर्ज होने पर दिनांक 22–09–2017 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिसे पुनः दिनांक 27–09–2017 को उभयपक्षों को सुनने के बाद उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा। प्रकरण में मूल प्रकरण में दिनांक 10–10–2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट को उभयपक्षों की उपस्थिति में नहीं बनाये जाने के कारण पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 12–10–2017 को उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार करवाये जाने का निर्णय अंकित किया है। वहीं दिनांक 10–10–2017 को उक्त कमिश्नर रिपोर्ट को ही आधार मानकर प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की जाने के कारण खारिज कर दिया है। स्पष्टया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–2017 को जिस कमिश्नर रिपोर्ट को पुनः तलब किये जाने का आदेश पारित किया है, उसी मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया है अपने आपमें विरोधाभाषी होकर न्याय संगत नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–2017 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किये जाने का जो निर्णय पारित किया है वह निधि सम्मत नहीं है, क्योंकि जिस मौका रिपोर्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने मूल प्रकरण में दिनांक 10–10–2017 को उपयुक्त नहीं माना, उसी मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर

पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10–10–2017 अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रचलित किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मूल प्रकरण संख्या 287/2017 में अपने आदेशों के तहत उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का नातिक रूप से निस्तारण करें, तब तक इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलन में रहेगी।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–10–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर